

सरकार को गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ अपने कार्यों का अधिक पारदर्शी विवरण देना चाहिए।

यदि भारत में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों के बढ़े हुए उपायों ने उन पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला, तो गृह मंत्रालय ने उनके विदेशी-वित्त पोषण लाइसेंसों की साल-दर-साल छानबीन करने की लंबी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इस खबर के बाद कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी समूह को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2020 में संशोधित)- एफ.सी.आर.ए. के तहत अपने लाइसेंस के नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया था।

एक सूचना के मुताबिक आवेदनों के 4/5वें हिस्से से अधिक लगभग 22,000 से अधिक एनजीओ जिन्होंने नवीनीकरण की मांग की है, उनकी जाँच अभी बाकी है। अगर सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाती, तब तक वे सभी नए साल में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तक पहुंचने की अपनी क्षमता खो देंगे। जैसा कि विशेषज्ञों ने समझाया है, गैर सरकारी संगठनों को न केवल यह साबित करना होगा कि धन का स्रोत क्या है और धन का उनका उपयोग उचित है बल्कि यह भी स्थापित करना है कि उनका काम "सार्वजनिक हित" या "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए हानिकारक नहीं है। सार्वजनिक हित" और "राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अस्पष्ट शब्द परिभाषित करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, जाँच के दायरे में आने वाले 2,000 गैर सरकारी संगठनों को उनके एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण से वंचित किया जा सकता है क्योंकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी और देश भर में इसके लगभग 200 घर इस दौर में हैं।

सरकार को इस बचाव के विपरीत कि वह केवल लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन कर रही है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन संगठनों को विशेष रूप से मोदी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, वे विशिष्ट "संवेदनशील क्षेत्रों" में काम करते हैं जैसे- प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, मानवाधिकार, बाल श्रम और मानव दासता, स्वास्थ्य और धार्मिक गैर-सरकारी संगठन, विशेष रूप से ईसाई और इस्लामी दान। 2014 के बाद से अपने विदेशी-वित्त पोषण लाइसेंस खोने वाले लगभग 20,000 गैर सरकारी संगठनों में प्रमुख नामों में एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीनपीस इंडिया, पीपुल्स वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, कम्पैशन इंटरनेशनल और गेट्स फाउंडेशन समर्थित पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।

अगर सरकार के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठनों के काम के बिना भारतीय बेहतर हैं, तो इसे अभी तक दिखाना बाकी है। अब समय आ गया है कि सरकार गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ अपने कार्यों का अधिक पारदर्शी लेखा-जोखा दे, जो वर्तमान में चीन और रूस में उन लोगों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्होंने असहमति और आलोचना को बंद करने के लिए अपने एनजीओ कानूनों का इस्तेमाल किया है।

भारत में विदेशियों द्वारा सहायता की चिंताओं पर कार्रवाई उचित नहीं लगती है, जैसे सापेक्षिक आसानी से राजनीतिक दल चुनावी बांड के माध्यम से अपने अभियानों के लिए विदेशी धन का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, उसी प्रकार एफसीआरए के तहत जो गैर-सरकारी संगठनों को धन प्रतिबंधित करना चाहता है। ऐसे समय में जब भारत कोविड-19 महामारी और एक दीर्घकालिक आर्थिक संकट के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है, सरकार के कदमों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी योगदान में अनुमानित 30% की गिरावट आई है, केवल सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों को चोट लगी है। परोपकारी प्रयासों के प्राप्तकर्ता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा जहाँ सरकारी सहायता पहुँचने में विफल रहती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- प्र. पिछले कुछ समय में निम्नलिखित में से किस एनजीओ को भारत में सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा है?
- (क) एमनेस्टी इंटरनेशनल
 (ख) ग्रीनपीस
 (ग) पीपुल्स वॉच
 (घ) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Which of the following NGOs has faced the ire of the government in India in the recent past?
- (a) Amnesty International
 (b) Greenpeace
 (c) People's Watch
 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. भारत में गैर सरकारी संगठनों पर सरकार के द्वारा पिछले समय में कई शर्तों को आरोपित किया गया है। क्या सरकार के ये कदम भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- Q. Many conditions have been imposed by the government on NGOs in India in the past. Are these steps of the government compatible with the Indian socio-economic conditions? Discuss. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।